संख्या:-925/15-13-97-1400(31)/72

विनोद शंकर चौबे,
विशेष सचिव ।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग-13 लखनऊ दिनांक: 26 मई, 1997

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण (बी0टी0सी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया में सुधार ।

--x--

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अब तक जारी समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण (बी0टी0सी0) प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में सुधार की दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा तात्कालिक प्रभाव से प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को निम्नवत् निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1-बी0टी0सी0 प्रशिक्षण:- प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का एक मात्र सेवा पूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे बेसिक टीचर सार्टिफिकेट बी0टी0सी0 परीक्षा कहा जायेगा । यह निर्देश बी0टी0सी0 (उर्दू) प्रशिक्षार्थियों के लिये भी लागू होंगे ।

2- विज्ञापन तिथि:- प्रवेश परीक्षा हेतु दिसम्बर-जनवरी में समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र मांगे जायेंगे ।

3- प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता:- बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उसी जनपद के निवासी हों जहां प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहे हों, तथा जिन्होंने फार्म भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद की इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा अन्य समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिनकी आयु प्रशिक्षण कोर्स शुरू होने वाले वर्ष की पहली जुलाई को 19 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक न हो तथा उसमें ऐसे शारीरिक अक्षमता न हो, जिससे अध्यापन कार्य बाधित हो । न्यूनतम आयु में किसी प्रकार

----2/-

की छूट देय न होगी । अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ीजाति/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा समस्त महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से 5 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी ।

4- चयन का आधार:-

(क) शैक्षिक योग्यता:-

	परीक्षा का नाम गुणांक
हाई स्कूल	प्राप्तांक प्रतिशत / 10
इन्टरमीडिएट	प्राप्तांक प्रतिशत × 2 / 10

योग- ____________

(ख) पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप:-

1 खेलकूद

(1)	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	10 अंक
(2)	राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	5 अंक
(3)	मण्डल स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	3 अंक
(4)	जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु	2 अंक

2- एन0सी0सी0 क्रियाकलाप:-

1-	एन0सी0सी0 सीनियर/जूनियर डिवीजन सी-2 प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर	10 अंक
2-	एन0सी0सी0 में बी अथवा सी-1 प्रमाण-पत्र प्राप्ति पर	05 अंक
3-	ए0 अथवा ए-1, जे-2, प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर	03 अंक

टिप्पणी:- खेलकूद एवम् एन0सी0सी0 में जो उच्चतम सर्टिफिकेट होगा उसी के लिए अंक दिये जायेंगे और कुल अंकों का अधिकतम 10 अंक ही माना जायेगा क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रिया-कलाप के लिए वेटेज के अधिकतम 10 अंक ही हैं ।

(ग) कतिपय श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिभार (वेटेज) अधिकतम

1- शासकीय मान्यता प्राप्त/अशासकीय/परिषदीय विद्यालय में कार्यरत एवम् सेवा निवृत्त प्राथमिक एवं माध्यमिक ... स्तरीय अध्यापकों के पुत्रों अविवाहित पुत्रियों और पुत्रवधू- 10 अंक

///3-/

2- विधवा, न्यायिक रूप से घोषित परित्यक्ता एवं तलाक शुदा महिला — 10 अंक

टिप्पणी- पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप, एन०सी०सी० क्रिया कलाप तथा उक्त [illegible] "ग" के अंतर्गत श्रेणी के लिए अभ्यार्थियों के लिए अधिभार सब मिला कर 10 अंकों से अधिक नहीं होगा ।

(घ) <u>लिखित परीक्षा का गुणांक:-</u> लिखित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों का गुणांक निम्नवत् आगणित किया जायेगा ।

प्रथम प्रश्नपत्र के पूर्णांक अधिकतम 100 अंक

(सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे)

द्वितीय प्रश्न पत्र के पूर्णांक अधिकतम 100 अंक

(शैक्षिक योग्यता के आधार उपलब्धि विषयक)

प्रश्न पत्रों में अंकों की प्राप्ति गणना कम्प्यूटर के माध्यम से की जायेगी ।

(ङ) <u>साक्षात्कार:-</u> वर्तमान में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाती है गुणांक व लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही चयन किया जायेगा । लिखित परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्णांक 35% होगा ।

(च) <u>प्रवेश हेतु अन्तिम सूची:-</u> उपर्युक्त क्रम "क" से "घ" तक के अनुसार प्राप्त गुणांक के आधार जनपदवार मेरिट क्रम में आरक्षण श्रेणियों की निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत उनकी पृथक-पृथक सूची सहित कम्प्यूटर के माध्यम से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें द्वारा अंतिम सूची तैयार की जायेगी । अधिकतम गुणांक प्राप्त अभ्यर्थी सूची के क्रम-1 पर होगा तथा उससे कम गुणांक प्राप्त अभ्यर्थी क्रम-2 पर होगा और इसी क्रम से मेरिट सूची तैयार की जायेगी

(छ) <u>प्रवेश परीक्षा हेतु समिति का गठन:-</u>

1-	प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	अध्यक्ष
2-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4-	प्राचार्य राजकीय महिला इन्टर कालेज	सदस्य

5- <u>प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थान (सीट) का आवंटन:-</u> शासनादेश दिनांक 16-5-96 महिला एवं पुरुष अभ्यार्थियों के लिए क्रमशः 50 प्रतिशत सीट की व्यवस्था कर दी गई है जिसे यथावत रखा जायेगा । विज्ञान विषय से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित होगी । सीटों का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा ।

अ- मैदानी क्षेत्र के लिए 100 सीट प्रति डायट, प्रति प्रशिक्षण सत्र

ब- पर्वतीय क्षेत्र के लिए 125 सीट प्रति डायट प्रति प्रशिक्षण सत्र

---4/-

6-प्रशिक्षण हेतु आरक्षण -अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत की व्यवस्था है। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों के साथ योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयनित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षित स्थानों के सापेक्ष नहीं गिना जायेगा। विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक का कोटा आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार यथावत् माना जायेगा।

7-बी०टी०सी० प्रवेश हेतु जनपदवार प्रवेश संख्या के निर्धारण को विकेन्द्रीकृत करते हुए प्रान्त वार शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा। इस पर शासन के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

8- इस परीक्षा को निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) के माध्यम से कराया जायेगा तथा रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें शिक्षा विभाग, इलाहाबाद/निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगे। (इस परीक्षा के लिए)

9-क-बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क 40/-रूपये प्रति अभ्यर्थी निर्धारित किया जाये।

ख- बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा मई माह के तृतीय रविवार को करायी जाये।

10-उपर्युक्त बिन्दु 2 तथा 7 के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रवेश परीक्षा हेतु फरवरी-मार्च मे समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र मांगे जायें तथा बी०टी०सी० प्रवेश हेतु जनपदवार प्रवेश संख्या के निर्धारण को विकेन्द्रीकृत करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा जाये। परीक्षा फल 15 अगस्त तक घोषित कर दिये जायेंगे। नकल विहीन परीक्षा सम्पादित कराने के लिए जिलाधिकारी का भी दायित्व होगा। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) जिला विद्यालय निरीक्षकों को नकल विहीन रूप से परीक्षा के संचालन के लिए दायित्व सौंपेगे। पूरे प्रदेश में अलग-अलग प्रश्न-पत्रों के कई सेट बनाये जायेंगे जिससे नकल उत्तर- या अवैध साधनों की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद शंकर चौबे)
विशेष सचिव।

संख्या:- 925।1।/15।13।/97-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक।बे0।उत्तर प्रदेश निशातगंज, लखनऊ ।

2- शिक्षा निदेशक।मा0।18 पार्क रोड, लखनऊ ।

3- रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें शिक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

4- संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

5- संयुक्त शिक्षा निदेशक।प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

6- समस्त उप विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

7- समस्त प्राचार्य डायट

8- समस्त उप प्राचार्य डायट

9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 ।

10- प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश ।

11- राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

12- शिक्षा परियोजना निशातगंज, लखनऊ ।

आज्ञा से,
[signature]
।बिनोद शंकर चौबे।
विशेष सचिव ।
२५.५.९७